

**महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ अन्वये  
गृहनिर्माण विभागांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा**

अ.क्र.	गृहनिर्माण विभागांतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा (म्हाडा, एसआरए व अपर जिल्हाधिकारी)	सेवा पुरविण्याचा कार्यालयीन कामकाजाचा हमी कालावधी	ऑनलाईन सेवा पुरविण्यात येतात होय किंवा नाही
<b>अ)</b>	<b>झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण</b>		
१.	वारस हस्तांतरण विषयक सेवा	३०	होय
२.	भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर १० वर्षांनी सदनिका हस्तांतरण विषयक सेवा	३०	होय
३.	झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी विषयक सेवा	६०	होय
<b>ब)</b>	<b>महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण</b>		
४.	निवासी सदनिका/ भूखंड भोगवटाबद्दल (हस्तांतरण)	२३	होय
५.	अनिवासी सदनिका/ भूखंड भोगवटाबद्दल (हस्तांतरण)	२३	होय
६.	निवासी सदनिका/ भूखंड नियमितीकरण	२३	होय
७.	अनिवासी सदनिका/ भूखंड नियमितीकरण	२३	होय
८.	थकबाकी बाबतचे ना- देय प्रमाणपत्र	१९	होय
९.	सदनिका/ भूखंड/ व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र	१२	होय
१०.	सदनिका/ व्यापारी गाळा विक्री परवानगी	१५	होय
११.	भूखंड विक्री परवानगी	१८	होय
१२.	भूखंडाची उर्वरित खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र	२१	होय
१३.	सदनिकेचा उर्वरित भाडेखरेदी हप्ता (एच.पी.एस./ भरणा पत्र)	२१	होय
१४.	सदनिका/ भूखंड/ व्यापारी गाळ्यांच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती	८	होय
१५.	निवासी सदनिका भाडे तत्वावर देण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे	२२	होय
<b>क)</b>	<b>मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्वसन मंडळ</b>		
१६.	निवासी सदनिका/ भूखंड भोगवटाबद्दल हस्तांतरण	२३	होय
१७.	अनिवासी सदनिका/ भूखंड भोगवटाबद्दल हस्तांतरण	२३	होय
१८.	निवासी सदनिका/ भूखंड नियमितीकरण	२३	होय
१९.	अनिवासी सदनिका/ भूखंड नियमितीकरण	२३	होय
<b>ड)</b>	<b>अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ निष्कासन) पूर्व/पश्चिम उपनगरे</b>		
२०.	महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील तरतूदीनुसार या परिशिष्टाच्या रकाना क्र.४ मध्ये अधिसूचित केलेल्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्रातील पात्र झोपडीधारकांना ओळखपत्र निर्गमित करणे.	३०	होय